कामकाजी महिला

वर्ष 7 अंक 6 अप्रैल 1995 मूल्य : 2 रुपये

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद! जिंदाबाद!!

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

☐ कालिंदी देशपांडे

8 मार्च, 1908 को न्यूयार्क में कामकाजी महिलाओं ने काम बंद कर दिया। उन्होंने अपने लिये 8 घंटे का कामकाजी दिवस घोषित करने तथा महिलाओं को वोट का अधिकार देने की मांग की थी। उसके दो वर्ष पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन ने 8 मार्च की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था।

और इस प्रकार महिला दिवस के आंदोलन का शुभारम्भ हुआ था। यह आंदोलन समानता, न्याय, शोषण मुक्ति के लिये महिला संघर्षों को प्रतिबिम्बित करता था। विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि सत्ता में विराजमान लोगों द्वारा महिलाओं के कष्टों को दूर करने के लिये केवल जबानी जमा खर्च किया जा रहा था। उसके विपरीत वास्तविकता तो यह थी कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं उफान पर थीं, उनका निम्नीकरण किया जाता था, बहुसंख्यक कामकाजी महिलाओं पर कमरतोड़ काम का बोझ डाला जाता था, उनका अत्याधिक क्रूर दमन, उत्पीड़न एवं शोषण किया जाता था; वे भयानक गरीबी तथा अभावों से भरा जीवन जीने पर विवश थीं; वे पिछड़ी हुई थीं; उनके साथ प्रत्येक स्तर पर अर्थात् परिवार से लेकर सामाजिक एवं राजनीति के क्षेत्र में पक्षपात किया जाता था।

किंतु पिछले 15 वर्षों से ऐसे उपहास का सामना नवोदित आंदोलन की उदीयमान शक्ति के बल पर ही किया जा रहा है। उदीयमान इसलिये क्योंकि अभी भी इसने बहुसंख्या का रूप लेना है। तथापि यह आंदोलन दृढ़तापूर्वक एक अटल शक्ति बनता चला जा रहा है। 70वें दशक के अंतिम भाग तथा 80वें दशक के आरंभ में बलात्कार तथा दहेज मृत्यु की घटनाओं के विरोध में उत्पन्न प्रतिरोध; मुसलमान महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों में क्षरण के लिये कठमुल्लावाद के विरुद्ध मुखर होना; सती प्रथा को पुनर्जीवित करने के विरोध में संघर्ष; पानी, शौचालय तथा अन्य नागरिक सुविधाओं जिसके रहते जीवन की गरिमा बनाती है, जैसी मूलभूत

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

इस अंक में

सम्पादकीय	2
मर्यादा समिति रिपोर्ट की समीक्षा	3
समान अधिकार केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है	4
उद्योग में महिलाएं	5
साहस के साथ शत्रु का सामना करो	7
बीजिंग सम्मेलन की ओर	8
आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी सम्मेलन	9
अब रूस में महिला दिवस का कोई अर्थ नहीं	10
बैंक में कार्यरत महिला कर्मचारियों के 6 मास का प्रसूति अवकाश मिलेगा	11
कामरेड कल्पना दत्त की याद में	12
मैं केवल मानव मात्र के लिए लिखती हूं	14

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर अपने अधिकारों एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए संघर्षरत विश्व भर की महिलाओं का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं।

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं. 3714071) सम्पादित और प्रकाशित प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित.

मर्यादा समिति रिपोर्ट की समीक्षा

तीन मूर्ति भवन नयी दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू पुस्तकालय! इसके परिसर में 8 दिसम्बर, 1994 को एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न महिला संगठनों तथा कुछ गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं का सम्मिलन हुआ था। कितने मधुर क्षण थे। यह अवसर था महिलाओं पर मर्यादा समिति रिपोर्ट के प्रकाशन की 20 वीं वर्ष गांठ। यह रिपोर्ट पहली बार 1974 में प्रकाशित हुई थी। इसके अनेक संस्थापक सदस्य जिन्होंने 1975 में इस बृहदाकार कार्य को पूरा किया था, इस अवसर पर उपस्थित थे। ऊपर वर्णित संगठनों के सदस्य पहली बार इनका साक्षात्कार कर रहे थे। ये संस्थापक सदस्य थे: फूलरेणु गुहा, लक्ष्मी रघु रमैया, सकिना हसन, लतिका सरकार, बीना मजूमदार, तथा लीला दुबे। इनके अतिरिक्त कुमुद शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। महिलाओं पर मर्यादा समिति का गठन 1971 में तत्कालीन शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती मीना स्वामीनाथन ने की।

यह बात दिलचस्पी से परिपूर्ण है कि समिति के सदस्यों द्वारा परस्पर विचार विमर्श के समय अनेक टिप्पणियां की गईं। इससे बैठक में हंसी के फुव्वारे फूट पड़े तथा सदस्यों का मनोविनोद हुआ। यह रिपोर्ट प्रकाश में कैसे आई तथा समिति के सदस्यों को विभिन्न राजनीतिक रुझानों जो एक दूसरे विपरीत थे, के चलते किन कठिनाईयों को झेलना पड़ा इत्यादि बातों पर भी चर्चा हुई। इसके कारण क्या थे? शायद राजनीतिक दलों में विद्यमान लोग अपने निहित स्वार्थों के कारण नहीं चाहते थे कि यह रिपोर्ट प्रकाशित हो। इसी लिये उन्होंने इस मामले को लम्बा खींचने का प्रयास किया।

सर्व प्रथम श्रीमती फूल रेणु गुहा ने भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने समिति की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। विचारनीय प्रश्न यह था कि इसे समिति होना चाहिए या आयोग? शिक्षा मंत्रालय के तत्कालीन प्रमुख श्री नुरूल हसन ने अनेक लोगों द्वारा कठिनाईयां उत्पन्न करने पर भी इस काम में भारी सहायता दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करने वाले कानूनों का पालन ही नहीं किया जाता। वर्तमान में ये मुद्दे जितने गम्भीर हो चुके हैं, आज से बीस वर्ष पूर्व उतने गम्भीर नहीं थे। श्रीमती सकिना हसन ने मुसलमान महिलाओं के लिये निजी कानून का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस कानून के कारण उन्हें कितना लाभ हुआ है। उन्होंने शिकायत भरे स्वर में कहा कि मुसलमान महिलाओं की भारी संख्या निरक्षर है और उनके पुरुष नेता उन्हें साक्षर बनाना ही नहीं चाहते। श्रीमती लक्ष्मी रघु रमैया ने प्रश्न किया कि पिछले बीस वर्षों में हमारी उपलब्धि क्या रही है? वैश्यावृति पूर्वत: जारी है, नशाखोरी पर विशेष अंकुश नहीं लग सका और तो और दहेज के कारण मरने वाली महिलाओं की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग हमारी संस्तुतियों की ओर ध्यान देगा भी या नहीं देगा, इसमें संदेह है। श्रीमती लीला दुबे वर्ष 1973 में समिति की सदस्य बनी थीं। उन्होंने कहा कि पिछले बीस वर्षों की कुछ उपलब्धियां रही हैं, इसमें संदेह नहीं। किन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत हम अनुभव करते हैं कि हम आगे की ओर जाने की अपेक्षा पीछे की ओर सरक रहे हैं।

श्रीमती लतिका सरकार ने विस्तार में उस स्थिति पर प्रकाश डाला जिसके साथ वर्तमान की अपेक्षा बीस वर्ष पूर्व उन्हें दो-चार होना पड़ता था। उन्होंने कहा कि दोनों स्थितियों में भारी अंतर है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें महिलाओं सम्बन्धी कानूनों तथा हमारी प्रतिबद्धताओं का बहुत कम ज्ञान है। हमें अभी बहुत कुछ करना होगा। समाज में बलात्कार के कांड होते हैं। हमारी सदस्याओं ने मथुरा बलात्कार कांड की जानकारी प्राप्त की थी। हमने बहु-विवाह प्रथा के मुद्दे को कूटनीतिपूर्ण ढंग से नहीं निपटा है। आज बलात्कार कांड भारी संख्या में होने लगे हैं। हमने इस सम्बन्ध में पहले सोचा ही नहीं था। समिति की सचिव श्रीमती बीना मजूमदार जिन्हें इस पद पर 1972 में नियुक्त किया गया था, ही ऐसी प्रमुख नेत्री रही हैं जिन्होंने यात्राएं करने, भेंटवार्ताएं करने तथा मंत्रालय से सम्पर्क बनाए रखने जैसे सभी कार्यों के दायित्वों का वहन किया है। बैठक में बताया गया कि रिपोर्ट के काम को निश्चित समय पर सम्पूर्ण करने के लिये उन्हें देर रात तक रुकना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हमने मुसलमान महिलाओं की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। यह एक तथ्य है। हमें क्या करना चाहिए? वास्तव में हमारे मध्य इसकी राजनीतिक अवधारणा का अभाव रहा है। समिति की भूमिका के सम्बन्ध में भी उनका स्वर आलोचनात्मक था। हम केवल सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को ही हाथ में लेते हैं। यदि हमारी कोई राजनीतिक तथा सामाजिक अवधारणा होती तो हमारा कार्य प्रदर्शन और भी उच्छा होता। हमारे मध्य दिशा-निदेश का अभाव था और समिति तथा उसकी भूमिका के बारे में भी हमारा कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था।

वास्तव में, दूसरे सत्र में अधिकांश वक्ताओं ने समिति द्वारा पिछले बीस वर्षों में किये गए अमूल्य कार्य पर प्रकाश डाला। समाज में महिलाओं के प्रत्येक वर्ग से सम्बन्धित अनेक आंकड़े

प्रस्तुत किये गए। दहेज, बलात्कार, आनुवंशिक इत्यादि सामाजिक समस्याओं पर भी विचार किया गया। कामकाजी महिलाओं, खेत मजदूरों तथा किसान महिलाओं के मुद्दों पर भी आंकड़ों सहित चर्चा की गई। यह भी बताया गया कि महिलाओं को संरक्षण देने वाले कानूनों को कार्यरूप नहीं दिया जाता। जनसंख्या की समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। मीना स्वामीनाथन ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जबकि देवकी जैन ने इन मुद्दों को सुलझाने के लिये महिला आंदोलन के समक्ष मुंह बाएं खड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। नन्दिता हक्सर ने भारत सरकार की नयी आर्थिक नीतियों पर सविस्तार चर्चा की और बताया कि इनका प्रतिकार किस प्रकार किया जा सकता है।

सी आइ टी यू की सचिव कामरेड विमल रणदिवे ने ऐसे समय में जब हम कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को उठाते रहे हैं, मर्यादा समिति की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। वर्ष 1975 में महिलाओं की समस्याओं पर विचार किया गया था। उस बैठक के लिये उन्हें भी आमंत्रित किया गया था।

अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा समिति तथा आंदोलन के वर्तमान एवं भावी कार्यक्रमों पर विचार व्यक्त किये जाने के पश्चात् बीना दी ने बहस का समापन किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। उनके साथ असमानता तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। अपने समापन भाषण को उन्होंने इन भावुकता भरे शब्दों में समाप्त किया: "हमारा वर्तमान आंदोलन अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुका हैं अब समय आ गया है कि हम अपने मतभेदों को सुलझाएं तथा एक राजनीतिक कार्यसूची निर्धारित करें। यह बृहत कार्य है किन्तु महिला आंदोलन को वर्तमान में यह कार्य करना ही होगा। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। हमें एक दूसरे के बोझ का वहन करना होगा।" सभी वक्ताओं ने उनके इन उद्‌गारों के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की तथा बैठक में दिये गये सुझावों का स्वागत किया।

संगोष्ठी का आयोजन करने में इंदु अग्निहोत्री ने कठोर परिश्रम किया था। उन्होंने कहा कि हमारे देश का वर्तमान राजनीतिक संकट तेजी के साथ बढ़ रहा है और हम सब उसमें संलिप्त होते चले जा रहे हैं। जब तक हम एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकेगा।

महिलाओं से सम्बन्धित मर्यादा समिति के पिछले 20 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करते समय अनेक संस्थापक सदस्यों ने जीवंत टिप्पणियां कीं। हम सब परस्पर विचार विमर्श से लाभान्वित हुई।

–विमल रणदिवे

समान अधिकार केवल महिलाओं का ही मुद्दा नहीं है: नीलोत्पल बसु का राज्य सभा में वक्तव्य

विवाहित महिलाओं (अधिकारों की रक्षा) सम्बन्धी विधेयक 1994 पर संसद में बहस हुई थी। राज्य सभा में कामरेड नीलोत्पल बसु ने इस विषय पर भाषण दिया था। यद्यपि उन्होंने यह भाषण दिसम्बर 1994 में दिया था तथापि अपने सुधी पाठकों की जानकारी हेतु हम उनके भाषण के मूल पाठ को यहां प्रकाशित कर रहे हैं।

"सामाजिक सम्बन्ध अधिकार सामंतवादी अवधारणाओं से प्रभावित होते हैं। वास्तव में रोजगार तथा शिक्षा के मामले में महिलाएं हमारे समाज का अति संवेदनशील (सुग्राही) वर्ग हैं। महिलाओं के लिये समानता का अधिकार, समान नागरिकता का प्रश्न केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है। ये प्रश्न हमारे पूरे समाज के हैं। हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं की मूल लोकतांत्रिक आवश्यकताएं पूर्ण करे। एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं को उस समय तक पूर्ण नहीं किया जा सकता जब तक समाज में महिला अधिकारों को स्थापित नहीं किया जाता। महिला अधिकारों में वृद्धि तथा उसके क्षेत्र को व्यापक बनाना समाज में लोकतंत्र की स्थापना के लिये संघर्ष का एक आवश्यक अंग है। विश्व में प्रौद्योगिकीय क्रांति का सूत्रपात हो चुका है किन्तु हमने अपने कार्य–व्यापार एवं समाज के प्रति रुख को अभी तक नहीं बदला। हम अपने समाज में महिलाओं को समान दर्जा प्रदान नहीं कर सके हैं। इस प्रकार की बहस तब तक निरर्थक बनी रहेगी जब तक ये भावनाएं सरकार की आधिकारिक पहल में प्रतिबिम्बित नहीं होतीं। यही समय है जब हम इस सम्बन्ध में कानून बनाएं तथा उन्हें पूरी दृढ़ता के साथ कार्यरूप दें। दहेज विरोधी कानून का अस्तित्व होने पर भी दहेज से सम्बन्धित अपराधों में वृद्धि होती चली जा रही है। अल्ट्रा–साउंड प्रौद्योगिकी जो आयुर्विज्ञान का अत्यंत आधुनिक स्वरूप है, का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को समुचित कानून बनाना होगा जो सामाजिक परिवर्तन के अग्रगामी दृष्टिकोण के उपकरण के रूप में कार्य करे।"

□

बीड़ी उद्योग का बढ़ता संकट

नयी आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों जिनके अंतर्गत बहुराष्ट्रीयों को लघु तथा असंगठित क्षेत्र के इस उद्योग में अनुप्रवेश की अनुमति प्राप्त हो जाती है, के लागू होने से इस [बीड़ी] उद्योग का संकट दिन-प्रतिदन गहरा होता चला जा रहा है। उद्योग की श्रमशक्ति का बड़ा भाग अर्थात् 7० प्रतिशत कामकाजी महिलाएं हैं। बाल श्रमिकों को बहुत भारी संख्या भी इस अवस्थ्यकर उद्योग में कार्यरत हैं।

सभी राज्यों में इस उद्योग पर पहले ही इजारेदार पूंजीपतियों का नियंत्रण रहा है। इस उद्योग में 5० लाख से अधिक व्यक्ति रोजगार पर लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त लाखों खेत मजदूर देश के ग्रामीण क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। अधिकांश जन जातीय लोग तेंदू पत्ते के उत्पादन तथा उसे तोड़ने के काम को सम्भाले हुए हैं।

इजारेदार पूंजीपति श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किये बिना ही बिचौलियों के माध्यम से इसका उत्पादन कराते हैं। ये लोग [इजारेदार] कारखाने लगाने तथा अपने अधीन श्रमिकों को काम पर नियुक्त करने के स्थान पर बड़े तथा छोटे ठेकेदारों की सेवाएं प्राप्त करते हैं। उन्हीं के माध्यम से श्रमिकों को काम पर रखा जाता है और एक प्रकार से श्रमिकों के आवास ही बीड़ी उत्पादन केंद्रों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सब श्रमिकों का अधिकाधिक शोषण करने तथा उन्हें न्यूनतम वेतन, श्रमिक कानूनों, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी उपायों जैसे लाभों से वंचित रखने के लिए किया जाता है।

क्योंकि इस उद्योग की श्रम शक्ति में 7० प्रतिशत से अधिक संख्या कामकाजी महिलाओं तथा बच्चों की है, इसलिए उनका शोषण और भी निर्मम तथा भयानक होता है। उन्हें अत्यंत अल्प वेतन दिये जाते हैं, सामान्य रूप से प्रति हजार बीड़ियां बनाने पर उन्हें 12 से 25 रुपये तक मिलते हैं। यह पारिश्रमिक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है। कामकाजी महिलाओं के साथ घोर पक्षपात किया जाता है। उन्हें समान काम के लिए समान वेतन देने या उनके लिये प्रसूति लाभों जैसे कल्याणकारी उपाय करने का तो प्रश्न ही नहीं है।

न्यूनतम वेतन तथा अन्य वंचनाओं के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को जिन समस्याओं के साथ दो-चार होना पड़ता है, उनमें पहचान पत्रों का न मिलना भी शामिल है। 5० लाख से भी अधिक श्रमिकों में 24 लाख से भी कम बीड़ी श्रमिकों को पहचान-पत्र दिये गये हैं। घर में रह कर काम करने वाले विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों की भारी बहुसंख्या को तो इस सुविधा से पूर्णरूपेण वंचित रखा गया है। अत: वे स्वयंमेव ही उन अत्यंत अल्प लाभों से भी वंचित रह जाते हैं जो बीड़ी एवं सिगार श्रमिक [रोजगार की शर्तें] अधिनियम 1966 के अंतर्गत उन्हें मिलने चाहिये। इसके साथ ही उन्हें बीड़ी कल्याण कोष अधिनियम 1976 के अंतर्गत कल्याणकारी लाभ भी नहीं मिल पाते।

जन जातीय श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या तेंदू पत्ता जो बीड़ी बनाने के काम में आने वाला महत्वपूर्ण कच्चा माल है, के व्यवसाय को संचालित करने वाले माफिया गिरोहों के शिकंजे में जकड़ी जाती है। 7० प्रतिशत तेंदू पत्ते का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में ही होता है अन्य बीड़ी उत्पादक राज्यों को तेंदू पत्ते की आपूर्ति के लिये बड़ी सीमा तक मध्य प्रदेश पर निर्भर करना पड़ता है। यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदू पत्ते के पूरे व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया है तथापि वह माफिया गिरोहों द्वारा तेंदू पत्ते के मूल्यों में वृद्धि करने की कार्रवाइयों पर रोक लगाने में असफल रही है। तेंदू पत्ते के बड़े व्यापारी जो स्वयं बीड़ी उत्पादन नहीं करते इसका [तेंदू पत्ता] मोटा भाग अपने नियंत्रण में लेते हैं और विदेशों में उसका निर्यात करते हैं। उदारीकरण की नीति शुरू होने के फलस्वरूप यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई है। इसके कारण छोटे तथा मंझोले निर्माताओं के लिये संकट उत[illegible] है क्योंकि बीड़ी श्रमिकों की बहुसंख्या उनके पास ही कार्यरत है। इस उद्योग की घरों में चलने वाली इकाईयां विशेष रूप से इससे प्रभावित हुई हैं। इससे बीड़ी श्रमिकों के मध्य बेरोजगारी बढ़ी है।

लगता है कि इतनी दयनीय स्थिति होने पर भी सरकार को संतोष नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष/विश्व बैंक के आदेश पर लागू की गई नयी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत इजारेदारों तथा बहुराष्ट्रीयों की सहायता करने के लिये सरकार ने हाल ही में आइ टी सी तथा अन्य विशालकाय इजारेदारों द्वारा निर्मित 60 एम एम से कम लम्बी सिगरेट पर निर्यात शुल्क में कमी कर दी है। अत: इस छोटी सिगरेट का मूल्य लगभग बीड़ी के मूल्य जितना हो गया है। बहुराष्ट्रीयों की शक्तिशाली लाबी के प्रभाव या दबाव में आकर सरकार छोटी सिगरेटों के निर्यात शुल्क में और कमी करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो बीड़ी उद्योग बरबाद हो जाएगा। स्पष्ट है कि ये कदम इजारेदारों के शोषण को समाप्त करने के लिये केरल तथा पश्चिम बंगाल की भांति बीड़ी श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं का गठन करने के प्रयासों को निष्फल करने के उद्देश्य से ही उठाए जा रहे हैं। नयी प्रौद्योगिकी को लागू किये जाने के फलस्वरूप इजारेदार पूंजीपति देश में बीड़ी उद्योग के विशाल भाग को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। इससे छोटे तथा मंझोले बीड़ी उत्पादक बरबाद हो जाएंगे। अत: इस सदियों पुराने परंपरागत उद्योग में संकट पनप रहा है।

इस दुखद कथा का अंत यहीं नहीं हो जाता। सरकार एक और कदम उठाने जा रही है जिसके कारण बीड़ी उद्योग पर और भी घातक प्रभाव पड़ेगा। स्पष्ट है कि यह कदम भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक में बैठे प्रभुओं के निर्देश पर ही उठाया जा रहा है। यद्यपि सरकार ने इस उद्योग में व्यावसायिक खतरों को समाप्त करने या उन्हें कम करने के लिये थोड़ी बहुत कार्रवाई अवश्य की है और उसने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारी कदम उठाए हैं तथापि उसने हाल ही में संसद में एक विधेयक लाकर स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों की दुहाई देकर तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन एवं उनके विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रयास किया है। राज्य सभा के शीत कालीन सत्र में प्रतिपक्ष के दृढ़ रुख के चलते सरकार को अपना विधेयक वापस लेने पर विवश होना पड़ा है। किंतु इस पर भी उसने अपना इरादा बदला नहीं है। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो इससे नि:संदेह लाखों तम्बाकू उत्पादकों पर भीषण दुष्प्रभाव पड़ेगा।

यद्यपि प्रकट रूप में स्वास्थ्य संबंधी खतरों की दुहाई दी गई है और देखने में यह विधेयक अहानिकर प्रतीत होता है तथापि इस कदम का उद्देश्य उत्पादकों और अंतत: इस उद्योग में काम करने वाले गरीब श्रमिकों पर आघात करना है। सी आइ टी यू ने सरकार से इस मुद्दे के सभी पक्षों पर विचार करने के लिए विशाल स्तर पर ट्रेड यूनियनों तथा तम्बाकू उत्पादकों के संगठनों की बैठक बुलाने की मांग की है। इसके साथ ही सी आइ टी यू ने सरकार से कहा है कि ऐसा कदम उठाने से पूर्व तम्बाकू उत्पादकों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय तथा श्रमिकों के लिये अन्तत्र [वैकल्पिक] रोजगार अवसरों का सर्जन किया जाए। इस स्थिति में बीड़ी श्रमिकों के लिये अपने संयुक्त संघर्षों को तीव्रतर करना तथा कामकाजी महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना अत्यावश्यक हो जाता है।

फार्म IV
(नियम 8 देखिये)

1. प्रकाशन का स्थान	: 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
2. प्रकाशन की अवधि	: द्विमासिक
3. मुद्रक का नाम	: विमल रणदिवे
क्या भारतीय नागरिक हैं	: हाँ
पता	: 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
4. प्रकाशक का नाम	: विमल रणदिवे
क्या भारतीय नागरिक हैं	: हाँ
पता	: 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
5. संपादक का नाम	: विमल रणदिवे
क्या भारतीय नागरिक हैं	: हाँ
पता	: 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्र के मालिक व भागेदार हैं अथवा ऐसे हिस्सेदार हैं जो कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक मालिक हैं।	: 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मैं विमल रणदिवे एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक 1मार्च, 1995 ह०/-

(विम लरणदिवे) प्रकाशक

साहस के साथ शत्रु का सामना करो

☐ विमल रणदिवे

यह 1941-42 का समय था। उन दिनों हमारे जैसी युवा लड़कियां कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हुई थीं। उन्होंने चिटागांग गुट की क्रांतिकारी नायिक कल्पना दत्त के संबंध में बहुत कुछ सुन रखा था। उनके क्रांतिकारी कार्यों से हम अत्याधिक प्रभावित हुई थीं। क्या साहसिक कारनामे थे! उन्होंने श्वेत सैनिकों की हत्या कर दी थी तथा चिटागांग में स्थित सैनिकों के शिविर पर धावा बोल दिया था इस धावे में उन्होंने लड़कियों का नेतृत्व किया...और इस प्रकार उस साहसिक कार्रवाई को पूर्ण किया। उनके साहस एवं शौर्य की गाथाएं हमारे भीतर क्रांतिकारी तूफान ला रही थी। हमें आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में भी वास्तविक ज्ञान हो रहा था। उस समय हमने कभी सोचा भी न था कि मास्टर दा [सूर्य सेन], आनंद, गणेश दा तथा अन्य क्रांतिकारी हमारी पंक्तियों में शामिल हो जाएंगे। कल्पना भी उस क्रांतिकारी दल की सदस्या बन गई। उस समय वह बच्ची ही थी। उसका जन्म 29 जुलाई 1913 को हुआ। अपनी अपूर्व देशभक्ति तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ लड़ने की तीव्र उत्कंठा के कारण 1929 में वह छात्र आंदोलन में कूद पड़ी। उस समय वह कलकत्ता के बेथुने कालिज में पढ़ती थीं। चटगरांव में उनका संपर्क सूर्य सेन के साथ हुआ। दोनों ने मिलकर चटगरांव न्यायिक परिसर तथा जेल को बम विस्फोट करके उड़ा देने का संकल्प किया ताकि गिरफ्तार देशभक्त कैदियों को कारावास से मुक्ति दिलाई जा सके। दुर्भाग्यवश उनकी यह योजना सफल नहीं हो सकी। इसके परिणामस्वरूप उनको जेल यात्रा करनी पड़ी। कल्पना क्योंकि बहुत कम आयु की थी, इसलिये उसे रिहा कर दिया गया जबकि अन्य साथियों को दीर्घावधि के लिये जेल की सीखचों के पीछे बंद कर दिया गया। उसे एक और कार्यभार सौंपा गया। वह कार्यभार था-यूरोपियन क्लब को बम विस्फोट से उड़ा कर बरबाद कर देना। इस योजना को सफल बनाने के लिये उसने पुरुषों का छद्मवेश धारण किया। किंतु इस बार फिर उनकी योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। वह पहचान ली गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल के गौरा नगर में वर्ष 1933 में चिटागांग विद्रोहियों तथा श्वेत सैनिकों के मध्य एक और गुरीला युद्ध हुआ। इस युद्ध में विद्रोहियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। श्वेत सैनिकों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। उस गुट के नेता सूर्य सेन तथा तारकेश्वर दत्त को फांसी दी गई जबकि कल्पना की अल्प आयु के दृष्टिगत उसे आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया।

उसका नाम प्रायः समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता था। शायद यही कारण था कि हम इस महान नायिका को देखना एवं मिलना चाहती थीं। चटगरांव संघर्ष के पश्चात विद्रोहियों का गुट छिन्न-भिन्न हो गया। उन्होंने मार्क्सवादी दिशा स्वीकार कर ली और वे कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गए। उन्हीं दिनों हमने सुना कि कल्पना दत्त भी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन रही हैं। हम नहीं जानते थे कि पार्टी नेताओं तथा उस गुट के मध्य क्या बातचीत हुई है। इस पर भी हम सब उन्हें अपने मध्य पाकर फूले नहीं समा रहे थे। मैं कामरेड गणेश घोष से मिलीं। कितने विनम्र एवं सहृदय कामरेड थे वह!

वर्ष 1940 में या उसके पश्चात एक दिन कल्पना बम्बई स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय राजभवन में आईं। हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। क्रांतिकारी नायिका कल्पना दत्त अब हमारी ही साथी बन चुकी थी। वह चित्ताकर्षक किंतु अत्यंत सादी एवं विनम्र थीं। वह बातूनी तो थी ही नहीं किंतु देखने में बड़ी सौम्य दिखाई देती थीं। कुछ ही दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कामरेड पी सी जोशी ने कल्पना के साथ अपनी सगाई की घोषणा कर दी। कामरेड पी सी तथा कल्पना का विवाह 'रेड फ्लैग हाल' में संपन्न हुआ। दोनों ने एक दूसरे के गले में मालाएं डालीं। इस अवसर पर नेताओं द्वारा भाषण दिये गये। अब वह कल्पना दत्त जोशी बन गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होने के पश्चात हमें उनके साथ मिलने एवं बातचीत करने का बहुत कम अवसर मिला। कामरेड बी टी रणदिवे तथा मैं कामरेड पी सी को दिल्ली में देखने के लिये गये थे। उन दिनों कामरेड पी सी बीमार थे। हम उनके दोनों बेटों सूरज तथा चांद से भी मिल थे।

दो मास पूर्व ही हमें कलकत्ता में उनसे भेंट करने का अवसर मिला। वहां उन सभी अग्रणी महिला नेत्रियों तथा कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करके सम्मानित किया गया था जिन्होंने गणतांत्रिक महिला समिति की स्थापना करने तथा उसे चलाने के वृहत कार्य में सहयोग दिया था। मुझे भी आमंत्रित किया गया था। कामरेड कल्पनादत्त उन दिनों बहुत बीमार थीं। वह अस्पताल में दाखिल थीं। अतः हमने अस्पताल में जाकर उनसे भेंट करने तथा उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। कामरेड कनक, वृंदा, श्यामली तथा स्वयं मैं उन्हें सम्मानित करने हेतु अस्पताल गईं। वह बाहर प्रांगण में आराम कुर्सी पर बैठी हुई थीं। हम सब उनके चारों ओर बैठ गईं। हम नहीं जानते कि उन्होंने हमें पश्चानना भी था या नहीं किंतु हमने उन्हें उस शानदार एवं गौरवमयी भूमिका का स्मरण कराया जो उन्होंने अपनी किशोरावस्था में चिटागांग में निभाई थी। उन्होंने श्वेत सैनिकों की

[शेष पृष्ठ आठ पर]

बीजिंग सम्मेलन की ओर

☐ प्रमिला पंधे

दिल्ली में 26-27 फरवरी 1995 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें से 66 प्रतिनिधि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के थे। सम्मेलन में सात प्रमुख महिला संगठनों ने भाग लिया जिनके नाम इस प्रकार हैं:

1. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन
2. अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति
3. महिला विकास अध्ययन केंद्र
4. संयुक्त महिला कार्यक्रम [ज्वांयट विमन प्रोग्राम]
5. महिला दक्षता समिति
6. भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय महासंघ तथा
7. युवा महिलाओं का क्रिश्चियन संघ।

इन प्रमुख संगठनों के अतिरिक्त अनेक गणमान्य महिलाओं, शिक्षिकाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं, गृह आधारित कार्यकर्ताओं, शिक्षा विदों, अधिवक्ताओं तथा अनेक समूहों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं तथा उनके प्रति भारत सरकार की नीतियों या वैकल्पिक व्यवस्था की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करना था।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पहल पर अनेक संगठनों ने इन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया:

1. महिलाओं पर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का प्रभाव
2. महिलाएं तथा सांप्रदायिकता
3. महिला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति
4. महिलाएं तथा शिक्षा
5. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी
6. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा
7. महिलाएं तथा कानून
8. महिलाएं तथा मीडिया [प्रचार माध्यम]
9. परिवार-बीजिंग सम्मेलन के लिये वैकल्पिक आलेख के रूप में

कामरेड वृंदा कारात द्वारा सम्मेलन के उद्देश्यों की व्याख्या किये जाने के पश्चात श्रीमती मेरी खेमचंद ने अध्यक्ष बद संभाला।

सम्मेलन के पहले दिन सभी संगठनों ने प्रतिनिधियों के विचारार्थ नौ आलेख प्रस्तुत किये। सभी प्रतिनिधियों को नो दलों में विभक्त किया गया ताकि वे मूलआलेखों में अपने-अपने संशोधन/सुझाव दे सकें। प्रत्येक आलेख पर जीवंत एवं सार्थक बहस हुई। मूल आलेखों में अनेक संशोधन तथा सुझाव जोड़े गए।

जनवादी महिला समिति के प्रतिनिधियों की भागीदारी अत्यंत सार्थक रही। सभी नौ आलेखों के लिये उसके प्रतिनिधियों को ही रिपोर्टर चुना गया था। वे थीं- 1] सुमन गाला दामोदरन: महिलाओं पर संरचनात्मक समायोजन नीतियों का प्रभाव, 2] डाक्टर मालिनी भट्टाचार्य: मीडिया, 3] इंद्राणी मजूमदार: महिलाएं तथा शिक्षा, 4] मंजीत: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, 5] कीर्ति सिंह: महिलाएं तथा कानून, 6] इंदु अग्निहोत्री: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, 7] सोनिया गिल: महिला स्वास्थ्य एवं जनसंख्या, 8] रजनी पारलीवाल: परिवार, 9] रत्ना बाली [सदस्य पश्चिम बंगाल महिला आयोग]: सांप्रदायिकता।

सभी प्रमुख महिला संगठनों ने नौ आलेखों पर संयुक्त राष्ट्र आयोजन समिति की बैठक में अपने संशोधन भेजने का निर्णय किया। यह बैठक मार्च 95 में न्यूयार्क में हुई थी।

प्रतिनिधियों का आंदोलनकारी रुख कही दर्शा रहा था कि महिलाएं चाहे वे किसी भी देश की क्यों ना हों सरकार द्वारा तैयार किये गए आलेखों को यथावत स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। वे इसे अपने ऊपर लादा गया आलेख मानती हैं।

साहस के साथ. . .

[पृष्ठ सात का शेष]

अपनी बंदूक का निशाना बनाने के लिये भारी साहस का परिचय दिया था। हमने उनके साथ इन ऐतिहासिक बातों पर चर्चा की। वह धैर्यपूर्वक एवं मौन रहकर हमारी बातें सुनती रहीं। "क्या वैसा साहस आज भी लोगों में है?" उन्होंने प्रश्न किया और हम इससे स्तब्ध रह गईं थीं। किंतु निश्चित रूप से उन्होंने हमसे ठीक प्रश्न ही किया था। उन्होंने वही काम किया जिसमें उनकी आस्था थी या जिसे वह उचित समझती थीं। इन महान कार्यों के लिये हम उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। वह हमारी नायिका थीं। एक ऐसी नायिका जो अपनी किशोरावस्था में श्वेत सैनिकों को गोली मारने और फांसी के फंदे को चूम लेने के लिये तत्पर थी। प्रिय कल्पना, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं! कल्पना अमर रहे।

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका यूनियन का द्वितीय सम्मेलन

☐ के हेमलता

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन का द्वितीय सम्मेलन 21-22 जनवरी को पी सुन्दरैय्या विगनान केन्द्रम, हैदराबाद में संपन्न हुआ। सम्मेलन में लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो राज्य के 23 में से 21 जिलों से आए थे। केवल मेडक जिले से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। वहां हम अभी तक अपनी यूनियन का गठन करने में सफल नहीं हो सके हैं।

सम्मेलन का समारम्भ सी आइ टी यू राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड एन प्रसाद राव द्वारा सी आइ टी यू ध्वज फहराए जाने से हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता कामरेड के एन विजयलक्ष्मी, कामरेड सी विजयलक्ष्मी देवी, कामरेड पी नागलक्ष्मी तथा कामरेड के हेमलता पर आधारित अध्यक्षमंडल द्वारा की गई। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की महासचिव कामरेड नीलिमा मोइत्र ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

राज्य की महिला एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती पी० प्रतिभा भारती मुख्य अतिथि थीं। श्रीमती भारती ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी महिलाओं के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं अत्यंत अल्प मानदेय लेकर समाज की भारी सेवा कर रही हैं। क्योंकि यह केंद्रीय सरकार की योजना है, इसलिये वह आंगनवाड़ी महिलाओं के मानदेय को बढ़ाने तथा उनकी अन्य मांगों के संबंध में केंद्रीय सरकार को अपने सुझाव भेज देंगी। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि वह राज्य स्तर पर ग्रीष्मावकाश, प्रोन्नति, मानदेय के नियमित भुगतान, टाडा तथा अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने संबंधी मामलों में आंगनवाड़ी महिलाओं की कठिनाइयों एवं कष्टों को दूर करने के लिये जो भी बन पड़ा, करेंगी।

कामरेड नीलिमा मोइत्र ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्य के लगभग सभी जिलों में यूनियन का विस्तार करने पर राज्य समिति को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने यूनियन की सदस्य संख्या को बढ़ाने, यूनियन को और सुदृढ़ करने ताकि वह आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों को मनवाने के लिये प्रभावी ढंग से संघर्ष कर सकें तथा निजीकरण संबंधी अभियान का तीव्र प्रतिकार कर सके, की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि महासंघ ने अखिल भारतीय स्तर पर निजीकरण के विरोध में बनाई गई संघर्ष की योजना पर सविस्तार प्रकाश डाला। उन्होंने आंगनवाड़ी महिलाओं को प्रेरणा दी कि वे अच्छे ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी न्यायोचित मांगों के लिये जनता का समर्थन प्राप्त करें।

आंगनवाड़ी महिलाओं के अखिल भारतीय महासंघ की सचिव तथा महाराष्ट्र आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की महासचिव किरण मोघे ने सम्मेलन का अभिवादन किया। उन्होंने प्रतिनिधियों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि पुणे में पहले ही कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों को गैर-सरकारी संगठनों ने 'अपना' लिया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण का खतरा वास्तविक है। इसका प्रतिरोध करने के लिये हमें अपनी यूनियन को सुदृढ़ बनाना होगा।

महासचिव कामरेड पी पुण्यवती ने सचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में जहां पिछले तीन वर्षों में यूनियन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया था, वहीं उसके भावी कार्यों की रूपरेखा भी निश्चित की गई थी।

सभी जिलों की 36 प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को संगठित करने संबंधी अपने अनुभवों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यद्यपि अभी भी अधिकारियों की ओर से उन्हें परेशान किया जाता है तथापि उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उनकी ओर ध्यान भी दिया जाता है। हम अपनी अनेक स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकी हैं। अतः सभी वक्ताओं ने यूनियन को सुदृढ़ बनाने तथा सभी परियोजनाओं में उसका विस्तार करने के प्रति अपना दृढ़संकल्प व्यक्त किया।

यह निर्णय लिया गया कि अगले सम्मेलन तक यूनियन की सदस्य संख्या में और 50 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी और वर्ष 1995 के समाप्त होने तक हम सदस्यों की संख्या 15000 करेंगे, हम अपना ध्यान परियोजना तथा जिला समिति कार्यों पर केंद्रित करेंगे, हम जिला स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर कक्षाओं का आयोजन करेंगे।

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

अब रूस में महिला दिवस का कोई अर्थ नहीं रहा

कभी सोवियत कैलेंडर में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस अत्यंत आनंद से परिपूर्ण अवसर होता था किन्तु वर्तमान में यह एक वार्षिक औपचारिकता मात्र ही बन कर रह गया है। यह तथ्य दर्शाता है कि इन दिनों रूस में लिंगों के मध्य असमानता किस सीमा तक बढ़ चुकी है। कोई भी समझदार रूसी महिला स्थिति के इस भयानक परिवर्तन को स्पष्ट देख एवं अनुभव कर सकती है।

मास्को के लैंगिक अध्ययन संस्थान में एक वरिष्ठ शोधार्थी जोया खोटकीना के शब्दों में, ''हम में से अधिकांश महिलाओं के लिये 8 मार्च फूलों तथा चाकलेट इत्यादि का दिन होता था। किन्तु आज यह हमारे लिये आंसुओं भरा दिन बन चुका है।''

''प्रत्येक व्यक्ति आज भी महिलाओं को सम्मानित होते देखता है, किन्तु अन्तर स्पष्ट है। अब यह पहले जैसा समारोहपूर्ण नहीं होता।

रूसी महिलाओं ने एक शताब्दी से भी कम समय में दो क्रांतियां देखी हैं। किन्तु दूसरी (प्रति) क्रांति ने तो उनके जीवन को नर्क बना डाला है।

बोलशेविकों ने समाज में पुरुषों का बर्चस्व समाप्त करने और घर तथा कामकाजी स्थलों पर महिलाओं की समानता के अधिकार को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया था। तथापि क्रियात्मक रूप से सोवियत क्रांति ने उन पर पूर्ण कालिक रोजगार का बोझ बढ़ा दिया जबकि पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन उन्हें पूर्वत: करना पड़ा।

एक 48 वर्षीय लायब्रेरियन नताल्या फेदोरोवा का कहना है, ''किसी ने भी राजनीतिक नारो की गम्भीरता से नहीं लिया।

''वास्तव में वह समय सदा पुरुषों का रहा। वे महिलाओं को उपहार, ड्रिंक इत्यादि भेंट करते थे। संदेह नहीं हम उस समय में भी बर्तन साफ करती थीं तथापि उस काल में हमारी वस्तु स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आया था।''

महिला दिवस अभी भी रूस में सरकारी अवकाश है। पिछले बुधवार (8 मार्च) को सभी कार्यालय तथा कारखाने बंद रहे। इस प्रकार महिलाओं का सम्मान दिया गया। पुरुषों ने उन्हें पुष्पाहार, उपहार भेंट किये, बधाईयां दीं तथा उस अवसर पर शैम्पेन के जाम टकराए गए।

किन्तु महिलाओं ने स्वयं वस्तु स्थिति को समझना शुरू कर दिया है।

एक ४० वर्षीया लेखाकार इरीना कोरेलेवा का कहना है, ''महिलाओं के लिये कुछ विशेष गारंटियां दी जाती हैं। ये पर्याप्त नहीं हैं किन्तु आप इन पर निर्भर कर सकते हैं।

''अब पैसा बनाना ही प्रमुख ध्येय बन कर रह गया है। इसी बात का अर्थ है। महिलाओं को अच्छे रोजगार से वंचित रखने तथा उनका मुंह बंद करने के लिये सब कुछ किया जाता है।''

सोवियत प्रचार माध्यमों में प्राय: जोर-शोर से कहा जाता था कि महिलाएं कुल श्रम शक्ति का 51% भाग हैं। वे अपने पुरुष सहयोगियों की अपेक्षा अधिक सुशिक्षित हैं। इस पर भी इस ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। महिलाएं पुरुषों की आनुपातिक वेतन की दो तिहाई राशि अर्जित करती हैं और प्रबंधन के 6 प्रतिशत से कम उच्च पदों पर वे विराजमान हैं।

किन्तु बाजार के सुधारों ने इन सीमित उपलब्धियों की भी चट कर लिया है।

कुमारी खोटकीना के अनुसार महिलाओं की आनुपातिक आय में कमी आ गई है। वह पुरुषों के वेतन के ४० प्रतिशत भाग से भी कम रह गई है। रूस के २० लाख बेरोजगारों में लगभग ८० प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। उनके लिये रोजगार के अवसर सिकुड़ते चले जा रहे हैं।

''यदि आप युवा नहीं हैं, आपका गौर वर्ण नहीं है, आपके बाल सुनहरी नहीं हैं तथा आपकी टांगें लम्बी नहीं हैं तो कोई भी आप को काम पर रखना पसंद नहीं करेगा। यह नयी अर्थव्यवस्था है। इस पर पुरुषों का पूर्ण बर्चस्व है। यहां ऐसे कोई कानून या परिपाटी नहीं है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती हो या उन्हें रोजगार में बनी रहने में सहायता देती हो।

''रूस की लाखों उच्च शिक्षा प्राप्त तथा प्रौढ़ आयु की महिलाओं के लिये उत्पादक (सुनहरी) भविष्य नहीं है।''

''सोवियत युग की समाप्ति के पश्चात् सामुदायिक सेवाओं, सब्सिडी मूल्यों पर दिन के समय घर की देखभाल करने, पड़ोसी लांडरियों, तथा निशुल्क चिकित्सा सहायता बंद होने के कारण महिलाओं के ऊपर परिवार का बोझ बढ़ गया है। उनके भीतर लोकतांत्रिक रूस में अपनी अच्छी स्थिति के लिये मृगतृष्णा करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रहा है,'' उसने कहा।

''आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के सतत संघर्ष के कारण पारिवारिक सम्बन्ध तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं।''

तलाक, बलात्कार तथा घरेलू हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि होने के पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं।

दैनिक इजवेस्तिया में प्रकाशित हाल ही एक अध्ययन में बताया गया है कि बच्चे को जन्म देते समय मरने वाली महिलाओं की संख्या पश्चिमी देशों तुलना में यहां (रूस में) २० गुणा अधिक है।

उसी अध्ययन में बताया गया है कि रूसी महिलाओं में गर्भपात की दर विश्व में सर्वाधिक है। यहां प्रति वर्ष ३० लाख महिलाएं गर्भपात कराती हैं। यह संख्या जन्म दर से दोगुना अधिक है।

''8 मार्च अब अवकाश नहीं रहा। यह एक सामान्य दिन बन चुका है,'' 33 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अन्ना पावेलयवा का कहना था। अब एक महिला के रूप में अनुभव करना कठिन है। उसे अब प्यार नहीं मिलता और फिर जब जीवन ही इतना कष्टप्रद तथा दु:खों से परिपूर्ण बन जाए तो प्यार जैसी कोमल भावना के लिये जगह ही कहां रह जाती है।

बैंक में कार्यरत महिला कर्मचारियों को 6 मास का प्रसूति अवकाश मिलेगा

''भारतीय रिजर्व बैंक (स्टाफ) नियमन 1948 के नियम 95 (1) में संशोधन-बैंक में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश प्रदान करना।

भारतीय रिजर्व बैंक (स्टाफ) नियमन, 1948 के नियम 95 (1) के अनुसार प्रसूति अवकाश जो सवैतनिक अवकाश है, वर्तमान में बैंक की महिला कर्मचारियों को एक अवधि के लिये जो उसे उसकी इच्छानुसार प्रदान की जाती है तथा वह किसी भी स्थिति में चार मास से अधिक नहीं होती। यह अवकाश उसके सम्पूर्ण सेवा काल में कुल मिला कर 12 मास से अधिक नहीं हो सकता।

2. अब केन्द्रीय बोर्ड की समिति की स्वीकृति से महिला कर्मचारी को प्रदत प्रसूति अवकाश की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह अवकाश उसे किसी भी समय पर एक अवधि के लिये जो छह मास से अधिक नहीं होगी प्रदान किया जाएगा। पहले यह अवकाश चार मास की अवधि के लिये दिया जाता था। यह अवकाश उसके सम्पूर्ण सेवा काल में कुल 12 मास की अवधि के लिये होगा। इसके लिये स्टाफ नियमन के नियम 95 (1) में संशोधन किया गया है। वर्तमान तथा संशोधित नियम 95 (1) को अनुलग्निका में दर्शाया गया है।

3. महिला कर्मचारी को गर्भ गिराने का अपरेशन कराने के लिये अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस अवकाश की अवधि तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी। इसमें अस्पताल में भर्ती होने का समय भी शामिल है। यह कुल प्रसूति अवकाश की समय सीमा से बाहर नहीं होगा।

4. उपरोक्त परिवर्तन 1 मार्च 1994 से प्रभावी होंगे और उन महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे जो 1 मार्च 1994 के पश्चात् प्रसूति अवकाश पर जाएंगी।

5. भारतीय रिजर्व बैंक (स्टाफ) नियमन 1948 की सभी प्रतियों में आवश्यक परिवर्तन किये जाएं। संशोधित निदेश अपने विभाग/कार्यालय के साथ सम्बन्धित सभी कर्मचारियों के ध्यानार्थ लाए जाएं।

हस्ताक्षर
चन्द्रमौलीस्वर्ण
मुख्य अधिकारी

कामरेड कल्पना दत्त की याद में

पिछले वर्षों की लोक ख्यात क्रांतिकारी नेता कामरेड कल्पना दत्त (जोशी) ने लम्बी बीमारी के पश्चात् 8-2-95 को कलकत्ता के एस एस के एम अस्पताल में अपने जीवन का अंतिम सांस लिया। वह 82 वर्ष की थीं। हम उनके देहावसान पर गहरी संवेदनाएं एवं शोक व्यक्त करते हैं। हम उनके परिवार के प्रति भी सहानुभूति की अभिव्यक्ति करते हैं।

कामरेड सूर्य सेन की अनुयायी तथा कामरेड प्रीतिलता वाडेकर की सहयोद्धा कामरेड कल्पना दत्त अतुलनीय बलिदानों एवं बहादुरी की प्रतिमूर्ति थीं। उन्हें ब्रिटिश सरकार के हाथों अत्यंत अमानुषिक दमन तथा उत्पीड़न को झेलना पड़ा था। अपने कर्मपथ पर अडिग रहते हुए उन्होंने कारावास का दण्ड भी भोगा। इसी मध्य वह समाजवादी विचारधारा की ओर आकृष्ट हुईं और अन्तोगत्वा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गईं। उन्होंने महिला आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह बांगिया प्रादेशिक महिला आत्मरक्षा समिति की स्थापना के समय अर्थात् 1942 से ही उसकी ओर आकृष्ट हो गई थीं।

कामरेड कल्पना दत्त के पिता श्री बिनोदबिहारी दत्त थे जबकि माताश्री का नाम शोभनाबाला दत्त था। उनका जन्म 27-7-1913 को चिटागांग जिले के गांव श्रीपुर में हुआ था। उनके पितामह डाक्टर दुर्गादास दत्त एक प्रख्यात चिकित्सक थे। चिटागांग के प्रमुख व्यक्तियों में उनकी गणना होती थी और ब्रिटिश सरकार तक उनका सम्मान करती थी। उनका घर दीर्घावधि तक पुलिस की कोप दृष्टि से मुक्त रहा था।

बाल्यावस्था में कल्पना अत्यंत विषादमय प्रकृति की थीं। दूसरों को दुखी देख कर उनका हृदय द्रवित हो जाता था। बारह वर्ष की आयु में उन्होंने खुदी राम तथा कनाई लाल की जीवन गाथाओं और "पथेर दाबी" (शरत चन्द्र चैटर्जी द्वारा लिखित) इत्यादि पुस्तकें पढ़ीं। ऐसी ही कुछ और पुस्तकों को पढ़ने के कारण उनका मन-मस्तिष्क ब्रिटिश सरकार विरोधी भावनाओं से ओत-पोत हो गया। उनके चाचा ने उन्हें स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिये प्रोत्साहन दिया। शनै शनै उन्होंने स्वयं को इतना सुदृढ़ बना लिया कि वह कोई भी खतरनाक काम कर सकती थीं। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिये भी स्वयं को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। शिक्षा का क्षेत्र हो या जीवन संघर्ष का कोई

और पथ वह सदैव अग्रणी स्थिति में ही बनी रहीं। उन्होंने वर्ष 1929 में मैट्रिक की परीक्षा उतीर्ण की। इसके पश्चात् वह कलकत्ता के बेथुने कालेज में विज्ञान के अध्ययनार्थ भर्ती हो गईं। वह कल्याणीदास के "छत्तरी संघ" में सम्मिलित हुईं और उन्होंने छात्र आंदोलन के साथ-साथ अन्य आंदोलनों में भी भाग लिया। क्रांतिकारियों के साथ उनका पहला सम्पर्क प्रख्यात क्रांतिकारी कामरेड सूर्य सेन के निकट सहयोगी पूर्णेंदु दस्तीदार जिन्हें मास्टरदा के रूप में जाना जाता था, के माध्यम से हुआ।

कामरेड सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटागांग आयुद्ध भण्डार को लूटा गया। कामरेड कल्पना क्योंकि क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेने के लिये बहुत उत्सुक थीं, इसलिए वह कलकत्ता छोड़ कर चिटागांग चली आईं। वहां कामरेड मनोरंजन राए के माध्यम से उनका सूर्य सेन के साथ सम्पर्क हुआ। कामरेड सूर्य सेन ने उन्हें अपने घर में शस्त्र तथा गुप्त लेखों को छुपा कर रखने का उत्तरदायित्व सौंपा।

वर्ष 1930 के अंत तक अनंत सिंह तथा गणेश घोष जो चिटागांग में थे, इत्यादि ने चिटागांग जेल के बाहर तथा अन्य कई स्थानों पर विस्फोट करने की योजना बनाई। इसी मध्य मई 1931 में पहली बार कल्पना की भेंट कामरेड सूर्य सेन के साथ हुई। उसके तुरंत पश्चात् वह उनके निदेशन में कार्रवाईयां करने लगी। वह निषिद्ध शस्त्रास्त बनाने के लिये कलकत्ता से विभिन्न अवयव एकत्रित करने, चिटागांग स्थित अपने घर में गन काटन बनाने तथा चिटागांग जेल के भीतर उसकी आपूर्ति करने का जोखिम भरा काम

करने लगीं। वह जेल के भीतर बंद साथियों (अनंत सिंह इत्यादि) तथा जेल से बाहर कामरेड सूर्य सेन के मध्य सम्पर्क कड़ी बन गईं। दुर्भाग्यवश इस योजना की सूचना उसे कार्यरूप देने से एक दिन पूर्व पुलिस को मिल गई। पुलिस को इस योजना में उनकी भागीदारी का कोई प्रमाण नहीं मिला किन्तु वह उसकी दृष्टि में संदेहास्पद अवश्य हो गई थीं। अत: पुलिस ने कालेज जाने तथा वहां से घर लौटने के अतिरिक्त उनकी सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया।

रातों को वह गुप्त रूप से अपने घर से बाहर निकलतीं और कामरेड सूर्य सेन, निर्मल सेन इत्यादि से गांव में जाकर मिलतीं। वहां पर वह रिवाल्वर चलाने का अभ्यास करतीं। एक दिन उन्होंने प्रीतिलता वाडेकर का कामरेड सूर्यसेन से परिचय कराया। कामरेड सूर्य सेन ने कल्पना तथा प्रीतिलता दोनों को विशेष उत्तरदायी कार्य सौंपने का निर्णय लिया। उन कार्यों में से एक कार्य पहारीताली युरोपीय क्लब पर हमला करना था। कल्पना इस योजना को कार्यरूप दिये जाने से एक सप्ताह पूर्व गिरफ्तार कर ली गईं। उस समय वह कामरेड सूर्य सेन से मिलने के लिये उनके गुप्त ठिकाने पर जा रहीं थीं। क्योंकि उस सड़क पर किसी महिला का चलना खतरे से खाली नहीं था इसलिये वह उस समय पुरुषों के छद्म वेष में थीं। उसी वेषभूषा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। धारा 109 के अन्तर्गत उनका चलान किया गया। उनके विरुद्ध पुलिस को क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिला, इस लिये एक मास के पश्चात् उन्हें रिहा कर लिया गया। सूर्य सेन के निदेशानुसार वह भूमिगत होकर काम करने लगीं। वह जिन दिनों खेरोदप्रभा विश्वास के गैराला स्थित निवास स्थान में छिपी हुई थीं। एक दिन (16.2.1993) अचानक पुलिस ने उस घर को अपने घेरे में ले लिया। सूर्य सेन, शांती चक्रवर्ती, मनिंद्र दत्ता, सुशील दास गुप्त, ब्रजेन सेन गुप्त इत्यादि अनेक क्रांतिकारी उसी मकान में छिपे हुए थे। मुकाबले के समय सूर्य सेन तथा ब्रजेन सेन गुप्त पकड़ लिये गए जबकि शेष साथी वहां से भाग निकलने में सफल हो गए। सूर्य सेन तथा ब्रजेन सेन गुप्त को 20-2-33 को चिटागांग जेल में ले जाया गया।

बाहर सक्रिय क्रांतिकारियों ने सूर्य सेन को जेल से भगाने के लिए आवश्यक प्रबंध किये। किन्तु इन प्रबंधों को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व ही उनके एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से कुछ शस्त्र तथा आलेख पुलिस के हाथ लग गए। इसके परिणामस्वरूप सूर्य सेन को सेना के भारी पहरे में अकेले नजरबंद कर दिया गया। उस समय सैनिक कार्रवाई हो रही थी। चिटागांग को सैनिक क्षेत्र घोषित करके उसके प्रत्येक गांव को सैनिक शिविर में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में भूमिगत होकर काम करना अत्यंत कठिन था। अत: क्रांतिकारियों को अपने गुप्त ठिकाने बदलने पड़े। कल्पना दत्त, तारकेश्वर दस्तीदार, मनोरंजन दत्त, मनोरंजन डे तथा अर्धेन्दु को एक गुप्त स्थान पर सेना ने देख लिया और उन पर गोली चला दी। क्रांतिकारियों ने भी गोली का उत्तर गोली से दिया। वे उस समय तक गोली चलाते रहे जब तक उनके कारतूस समाप्त नहीं हो गए। इसी गोलीबारी में मनोरंजन दत्त ने वीरगति को प्राप्त किया। मकान के मालिक तथा क्रांतिकारियों के अतिथेय पूर्ण तालुकदार को भी अपने प्राण गंवाने पड़े जबकि उसका भाई निशी तालुकदार गंभीर रूप से घायल हो गया। शेष साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल्पना को सैनिक आइ सी ओ द्वारा यातनाएं दी गईं तथा अन्य साथियों के साथ मारपीट की गई। अन्य पुरुष कैदियों की भांति कल्पना दत्त को भी हथकड़ियां पहनाई गईं। उसे एक रस्से के साथ बांध कर शहर के बाजारों में घुमाया गया।

'चिटागांग आर्मरी रेड'-द्वितीय अनुपूरक मामला के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया। उन्हें देशद्रोह, षडयंत्र, विस्फोटक अधिनियम तथा आर्मी एक्ट के अनुसार आरोपित किया गया। आरोपी सूर्य सेन, ताराकेश्वर दस्तीदार को मृत्यु दण्ड तथा कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। सूर्य सेन तथा ताराकेश्वर दस्तीदार को 12-1-34 की अर्ध रात्रि के समय फांसी दे दी गई। कल्पना को मई 1939 में 6 वर्ष तक कारावास का दण्ड भुगतने के पश्चात् रिहा किया गया। कल्पना को उस समय (1933 में) गिरफ्तार किया गया जब वह बी एस सी की छात्रा थीं। जेल से रिहा होने के पश्चात् 1940 में उन्होंने बी ए की परीक्षा उत्तीर्ण की। नवंबर 1940 से दिसम्बर 1941 तक उन्हें उनके घर में ही नजरबंद रखा गया। कल्पना दत्त का जीवन एक ऐसे क्रांतिकारी का जीवन था जो कठोर संघर्षों, जोखिम भरे कार्यों, साहसिकता से परिपूर्ण था। उनके भीतर देश भक्ति की अमर ज्वाला धधकती थी। वह एक ऐसा जीवन था जो वर्तमान में भी हमारी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। हमारे देश की नयी पीढ़ी को उनके जीवन तथा कार्यों का गहन अध्ययन करके देश तथा श्रमिक वर्ग के लिये कुछ कर गुजरने की प्रेरणा लेनी चाहिए।

कामरेड कल्पना दत्त ने 14-8-43 को कम्युनिस्ट नेता कामरेड पी सी जोशी के साथ विवाह कर लिया।

☐

मैं केवल मानव मात्र के लिए लिखती हूं: तस्लीमा

मुझे अपने देश के पोंगापंथियों से सख्त नफरत है। उसी प्रकार मैं भारत में भाजपा जैसी शक्ति से भी घृणा करती हूं किंतु एक क्षण के लिए भी ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने से ही नफरत करती हूं। मैं ऐसा कदापि नहीं करती। मैं अपने देश के साथ प्रेम करती हूं और उसे कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। इसका अर्थ कदाचित यह नहीं है कि मैंने इसकी बुराईयां की ओर से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये बुराईयां ही हैं जिन्हें दूर करने के उद्देश्य से मैं अपनी कलम चलाती हूं। मैं जानती हूं कि जो कुछ भी मेरी कलम द्वारा लिखा जाता है उससे मुल्ला लोग प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो मैं लिखती भी नहीं हूं। और न भविष्य में कभी उन्हें प्रसन्न करने के लिये लिखूंगी। मैं परिवर्तन लाने के लिए लिखती हूं। मैं महिलाओं के लिये अपनी कलम चलाती हूं। मैं लिखती हूं ताकि वे अपने सीमा रेखा को पार कर जाएं अर्थात पुरुष एवं महिला के मध्य विभाजन रेखा को पार कर सें और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करें। मैं मुल्ला लोगों से भयभीत हूं और वे मुझ से जले बैठे हैं। और वे मेरी कलम को शक्ति से परिचित हैं।

मेरा संघर्ष समाज के सभी कमजोर वर्गों...लैंगिक, धार्मिक या धन की दृष्टि से कमजोर लोगों के लिये है। मुझे आशा है कि मैं एक न एक दिन उनके लिये समान अधिकार प्राप्त करने में अवश्य सफल रहूंगी। यदि वे लोग मुझे पहले ही मार देते हैं तो भी मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात् अनेक तस्लीमा पैदा होंगी जो मेरे संघर्ष को आगे बढ़ाएंगी। यही भावना मुझे अनवरत संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रही है।

मैंने मैमनसिंह में परिवार नियोजन अधिकारी के रूप में काम किया है। वहां पर ही मैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनेक महिलाओं के संपर्क में आई थी। वे सभी अपने-अपने पति के अत्याचारों से पीड़ित थीं। अनेक महिलाओं के छह, सात या आठ बच्चे थे। इस बात से प्राय: मैं क्रुद्ध हो जाती थी। मैं उनसे पूछती क्या केवल बच्चे बनाने में ही आपकी दिलचस्पी है। वे मुझे बताती कि उनके पति उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए विवश करते हैं। उनके पति उन्हें गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन नहीं करते देते। मैं प्राय: नलबंदी आप्रेशन करती थी। यह भी हमारे समाज का एक पक्ष है। हम जिस देश में रह रहे हैं, वह बहुत गरीब है। यह तथ्य मुझे सदा परेशान करता है। हमारे देश के लोग बहुत गरीब हैं और गरीब के कारण वे कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं मैंने देखा कि लगभग सभी प्रकार की महिलाएं मेरे पास आती थीं- यहां तक कि उनमें 16 तथा 17 वर्ष की लड़कियां भी शामिल होती थीं। शायद इसलिए क्योंकि सरकार आप्रेशन कराने वाली महिलाओं को 175 टका तथा एक साड़ी देती है। कभी-कभार वे कहती हैं कि उनके बच्चे हैं, उनमें से कुछ अविवाहित होतीं, कुछ परित्यक्ता। वे सभी धन के लिये आती थीं।

मैंने बंगला देश का जितना अधिक भ्रमण किया उतना ही मुझे ज्ञान हुआ कि हमारे देश की बहुत कम महिलाएं अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं। अनेक पढ़ी लिखी महिलाएं केवल गृहणियां ही बनी बैठी हैं क्योंकि उनके पति उन्हें घर के बहार जाने की अनुमति नहीं देते। हमारे देश में पर्दा प्रथा पाई जाती है। मैं इसे हटाना चाहती हूं। महिलाओं को क्या पहनना चाहिए मैं ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिए संघर्ष नहीं कर रही हूं। वे कैसे वस्त्र पहनती हैं यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। वे चाहे साड़ी पहने या सलवार-कमीज। क्योंकि हमें नारी के लिये इससे भी अधिक स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करना है। और मैं केवल अपने लिये ही संघर्ष नहीं कर रही हूं। मैं तो बंगला देशी महिलाओं के लिये संघर्षशील हूं। मैं तो महिलाओ का स्वर हूं जो मेरी लेखनी में से सुना जाता है।

मैं जानती हूं कि जब महिलाएं मेरी लेखनी पड़ती हैं तो अपने तीव्र प्रक्रिया व्यक्त करती हैं। वे मुझे कहती हैं कि मैंने जो भी लिखा है, सत्य लिखा है।

कुछेक महिलाएं तो यहां तक कह देती हैं कि मैं उनकी व्यवस्था को ही कलमबंद करती हूं। और क्योंकि मेरी लेखनी से महिलाओं में विचार परिवर्तन होता है इसीलिये मुल्ला लोग भयभीत हैं।

मेरा देश चुनाव के लिये पोंगापंथी रुख अपना रहा है। वर्ष 1972-75 तक महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिक नहीं था। 1985 से सरकार ने उन्हें राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

मैं बंगाल से प्रेम करती हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि दोनों बंगाल पुन: एक हो जाएं।

मैं भाजपा के साथ घृणा करती हूं। मैं कभी भी भाजपा से धन नहीं लूंगी। मैं कभी भी भाजपा से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को नहीं मिली और न ही मैं भाजपा के किसी व्यक्ति को जानती हूं। मैं लज्जा उपन्यास केवल अपने देश के लिए ही लिखा है। मैं जानती हूं कि भाजपा भारत में मेरी पुस्तक का उपयोग कर रही है। मैं जानती हूं कि कभी भाजपा के एक नेता ने कहा था, "लज्जा पढ़िये, लज्जा को पढ़िये और उसमें पढ़िये कि बंगला देश में हिंदुओं पर किस प्रकार अत्याचार किये गए।" किंतु मैंने यह उपन्यास भाजपा के लिए नहीं लिखा है। मैंने उसे लिखा क्योंकि उसके द्वारा मैं अपने देशवासियों को धार्मिक कट्टरवाद के खतरे की चेतावनी दे सकूं। मैं भाजपा से घृषा करती हूं और मैं जमायते इस्लामी से भी नफरत करती हूं। मैंने दोनों की आलोचना की है। मैं भाजपा की आलोचना करती हूं और जमायते इस्लामी की आलोचना भी करती हूं। मैंने केवल मानवता के लिए लिखा है क्योंकि मेरे लिये न कोई हिंदू और न कोई मुसलमान है। वे केवल मानव मात्र हैं और उनके लिये ही मैं लिखती हूं और संघर्ष करती हूं।"

अन्तर्राष्ट्रीय . . .

[पृष्ठ 2 का शेष]

आवश्यकताओं के लिये संघर्ष करना, विधवाओं एवं असहाय जनों को समाज में समुचित स्थान दिया जाए- अर्थात इन मांगों एवं मुद्दों पर चल रहे महिला आंदोलन ने दिल्ली की हजारों महिलाओं को अत्यंत प्रभावित किया है।

हमारे आंदोलन को मूल्य वृद्धि के कारण बढ़ते आर्थिक बोझ, दरिद्रता, अत्यंत अल्प वेतनमानों तथा सरकार की नीतियों के फलस्वरूप उत्पन्न काम की शोषणकारी नीतियों का तीव्र प्रतिकार करना होगा। घरेलू तथा आर्थिक दासता का दोहरा बोझ उनकी कमर तोड़ रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने तो महिला को और भी अधिक उपभोग की वस्तु बना डाला है। इसके कारण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

हमें उन तत्वों के हमलों का प्रतिकार करना होगा जो धर्म के नाम पर हमारे मध्य शत्रुता की भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं और प्राचीन परम्पराओं एवं तथाकथित गौरवशाली अतीत की दुहाई देकर महिलाओं की असमानता, एकान्त कारावास जैसे सहस्राब्दियों पुराने उत्पीड़न को सहर्ष स्वीकार करने पर विवश करते हैं।

इसी आंदोलन से महिलाओं के लिये एक पृथक अध्याय का सृजन हुआ है- इसे हम दिल्ली की महिलाओं का तात्कालिक कार्यक्रम कह सकते हैं। यह कार्यक्रम है दिल्ली सरकार के पाखण्ड तथा अपने वादों से मुकरने वाली उसकी प्रवृत्ति को कदाचित सहन नहीं करना। यह कार्यक्रम पुलिस तथा प्रशासन की अकर्मण्यता के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान करता है। यह कार्यक्रम विस्मृति की गर्त में विलुप्त हुए कानूनों [महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाले] को कार्यरूप देने की मांग करता है। यह हमारे संघर्ष का घोषणापत्र है।

यह वही कार्यक्रम था जिसकी अभिव्यक्ति दिल्ली की महिलाओं ने जनवादी महिला समिति, एन एफ आइ डब्ल्यू, साबिया संघ, जे डब्ल्यू पी, शक्तिशालिनी, जागृति महिला समिति, सी डब्ल्यू डी एस इत्यादि बारह विभिन्न संगठनों के तत्वाधान में बाराखम्बा रोड से घंटा घर तक आयोजित कूच के माध्यम से की है। असमानता, दरिद्रता तथा बंधनों से रहित जीवन का सपना हृदय में संजोए वे एक दूसरी के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कूच कर रहीं थीं। अपने मौलिक अधिकारों के लिये संघर्ष करने का संकल्प लेते हुए उन्होंने अपनी ठोस मांगों पर आधारित एक मांग-पत्र तैयार किया जिसे दिल्ली की भाजपा सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। मांग-पत्र में अधोलिखित मांगें सम्मिलित की गई हैं।

हम महिला के रूप में मांग करती हैं

1. बारह वर्ष पुराने दहेज विरोधी अधिनियम के संशोधन को कार्यरूप दो। दहेज की रोकथाम के लिये प्रभावी अधिकारियों की नियुक्ति करो।

2. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा अपराधों पर अंकुश लगाओ;

क] महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ को छानबीन करने के साथ-साथ मामलों को पुलिस के पास दर्ज कराना चाहिये।

ख] बलात्कार विशेष रूप से बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में मुकदमा चलाने के लिये विशेष दण्डाधिकारी को नियुक्त किया जाए।

ग] पुलिस दुर्व्यवहार, हिरासत में अत्याचार करने एवं पीड़ाएं देने, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा भ्रष्टाचार इत्यादि मामलों की रोकथाम के लिये अपराधियों को कड़ा दण्ड दिया जाए तथा जनता की चौकसी बढ़ाई जाए।

3. असहाय विधवाओं को राज्य की ओर से गुजारे योग्य भत्ता दिया जाए तथा वृद्धावस्था पेंशन में ५०० रुपये तक वृद्धि की जाए।

4. प्रत्येक जिले में परित्यक्त महिलाओं के लिये आवास बनाए जाएं। बच्चों या विधवाओं या अकेली रहने वाली असहाय महिलाओं की देखभाल के लिये विशेष संस्थागत प्रबंध किये जाएं।

5. राज्य महिला आयोग का गठन तुरंत किया जाए।

6. भ्रूण-परीक्षणों पर प्रभावी प्रतिबंध लगाया जाए।

एक श्रमिक के रूप में हम मांग करती हैं

1. घरेलू कामों [या उद्योगों] में लगे श्रमिकों को काम की शोषणकारी स्थितियों से बचाने हेतु कानून बनाया जाए। उनके लिये जीवित रहने योग्य तथा काम के अनुरूप वेतन सुनिश्चित किये जाएं।

2. आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन, प्रसूति एवं शिशु पलना गृह कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। ठेका-मजदूरी की प्रथा समाप्त की जाए।

3. सभी विद्यालयों के साथ-साथ दिन के समय बच्चों की देखभाल करने वाले केंद्रों की स्थापना की जाए।

4. विवाह के कारण महिलाओं को रोजगार न देने या उन्हें काम से निकाल बाहर करने जैसे कदमों पर प्रशासकीय अंकुश लगाया

जाए।

5. प्रशिक्षण तथा नियोजन कार्यक्रमों की संख्या तथा क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए।

6. कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा करने के लिये कानून बनाया जाए।

नागरिक के रूप में हम मांग करती हैं

1. मूल्यवृद्धि के विरोध में- इनमें दालें, खाद्य तेल तथा राशन में मिलने वाली सभी उपभोक्ता वस्तुएं सम्मिलित हैं। काला बाजारी, रोकी जाए तथा वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। वर्तमान कोटे के अनुसार नियमित रूप से राशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित बनाया जाए।

2. गंदी झोंपड़ियों तथा अभावों की स्थिति में रहने को विवश लोगों के लिये अच्छे आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित लोगों के लिये सार्वजनिक शौचालय, उनकी सुरक्षा के लिये रौशनी की व्यवस्था। शहर का सौंदर्यीकरण जिसका अर्थ है अत्यंत सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर गंदे नालों, शौचालयों तथा कूड़े के ढेरों की सफाई। प्रत्येक सार्वजनिक सुविधाओं के साथ-साथ महिला-पेशाबघर बनाना।

3. सभी नागरिकों के स्वस्थ्य रहने के अधिकार को सुनिश्चित बनाने के लिये झुग्गी-झोंपड़ियों सहित सभी क्षेत्रों में स्थित सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में रोगों की जांच सम्बन्धी शुल्क को समाप्त करना। प्रमुख प्रदूषणकारी एजेंसियों पर अंकुश लगाना। मलेरिया, तपेदिक इत्यादि रोगों के विरुद्ध अभियान तेज करना।

4. डी टी सी [दिल्ली परिवहन निगम] की महिला स्पेशल बसें पुनः चलाना। डी टी सी बसों की संख्या बढ़ाना।

5. अवैध शराब के व्यापार पर रोक लगाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाए जाएं।

हम, अपने बच्चों के लिये मांग करती हैं

1. विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सभी रिक्तियों को भरने के लिये तुरंत नये अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

2. शिक्षा के स्तर में सुधार लाने तथा शिक्षार्थियों की संख्या को कम होने से रोकने के लिये पिछली पीढ़ी के लोगों के लिये विशेष कक्षाओं का आयोजन, उन परिवारों के बच्चों को जिनकी मासिक आय 1500 रुपये से कम है निशुल्क पाठ्य पुस्तकें,, वर्दियां तथा दोपहर का खाना प्रदान करना।

3. सभी पाठशालाओं में पेय जल तथा शौचालयों की सु
उपलब्ध कराई जाए।

4. अध्यापकों द्वारा इन आदर्शों का उल्लंघन न किया ज
इसे सुनिश्चित बनाने के लिये विशेष जांच की व्यवस्था की ज

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी. . .

[पृष्ठ नौ का शेष]

सम्मेलन में आंगनवाड़ी सेवाओं को नियमित करने, मूल्य
के विरोध में, नयी आर्थिक नीतियों के विरोध में तथा आंगनव
महिलाओं की मांगों के पक्ष में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित
गये। उसके द्वारा प्रत्येक परियोजना में भारी जनसभाओं
आयोजन करने तथा फरवरी मास में जिला स्तरों पर एक-एक
का अनशन करने और हैदराबाद में मार्च/अप्रैल में किसी
विशाल जनसभा का आयोजन करने, का निर्णय लिया गया। 5
को दिल्ली के प्रस्तावित धरने में भारी संख्या में सम्मिलित होने
प्रण किया गया।

सम्मेलन में 53 सदस्यीय नयी राज्य समिति का चुनाव कि
गया। कामरेड एस पुण्यवती मानद अध्यक्ष तथा के हेम
महासचिव चुनी गई। समिति में पांच सहायिकाओं को भी लि
गया। आंध्र प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के महासचिव कामरेड
रामैय्या, आंध्रप्रदेश महिला संगठनम की सचिव ए० मनमोहनी
आइ टी यू नेताओं कामरेड एन प्रसाद राव, पी सत्य नारायण
एम ए गफूर ने प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया।

बुक पोस्ट